कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकःशिविरा / प्रारं / नि.प्रको / नियु–2 / 982 / टीजीटी–2016 / ले–2 / 2016–17 / दिनांक – 23-8-18

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
समस्त, जिला परिषद

विषयः–राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती–2016 (संशोधित) लेवल–द्वितीय चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन / नियुक्ति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती–2016 (संशोधित) लेवल–द्वितीय के निम्न पदों के संबंध में अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाईन आवेदन में भरी गई सूचनाओं के आधार पर पंचायती राज विभाग के आदेश दिनांक 30.08.2017 एवं विज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु विज्ञाप्ति पदों की सीमा तक क्रमंशः दिनांक 18.10.2017 एवं 25.01.2018 को अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पृथक–पृथक पदवार चयन सूचिया एवं अन्तिम कट ऑफ मार्क्स जारी किये गये थे। उक्त सीधी भर्ती के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन विभिन्न सीविल याचिकाओं में पारित आदेशों की पालना में पंचायती राज नियम 277(क) के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के विज्ञाप्ति पदों के विरूद्ध पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों में से अपात्र व अनुपस्थित अभ्यर्थियों के नाम हटाते हुये चयन को रिशफल कर चयन सूचिया व अन्तिम कट ऑफ मार्क्स जारी किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	भर्ती का नाम	पद का नाम	चयन रिशफल करने की दिनांक	विज्ञापन संख्या
1	राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती–2016 (संशोधित) अनुसुचित क्षेत्र लेवल–द्वितीय	लेवल–द्वितीय, अंग्रेजी	14.08.2018	2 / 2017 दिनांक 11.09.2017
2	राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती–2016 (संशोधित) अनुसूचित क्षेत्र लेवल–द्वितीय	लेवल द्वितीय, विज्ञान–गणित	20.08.2018	2 / 2017 दिनांक 11.09.2017
3	राजस्थान प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय सीधी भर्ती–2016 (संशोधित) गैर अनुसूचित क्षेत्र लेवल–द्वितीय	लेवल द्वितीय, अंग्रेजी	20.08.2018	1 / 2017 दिनांक 11.09.2017

उक्तानुसार रिशफल परिणाम के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को जिला आवंटन कर जिला आवंटन की सूचियां दिनांक 22.08.2018 को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाई गई है। उक्तानुसार कार्यवाही उपरान्त आपके जिलें में चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति निम्नानुसार हैं :–

1. पूर्व में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा कार्यग्रहण किया जा चुका है, यदि ऐसे अभ्यर्थियों का जिला परिवर्तित हुआ है, तो इन अभ्यर्थियों को नवीन आवंटित जिलें हेतु अनिवार्यतः दिनांक 01.09.2018 तक नवीन जिलें हेतु कार्यमुक्त किया जावे।

23/8/18

2. ऐसे अभ्यर्थी जिनका परिणाम रिशफल के कारण नवीन चयन हुआ है, इन अभ्यर्थियों के नियुक्ति/पदस्थापन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी संलग्न कलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जावें।

3. **उक्त भर्ती अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु लेवल द्वितीय अंग्रेजी के पूर्व में चयनित ऐसे अभ्यर्थी जिनको बी.ए. एडिशनल अंग्रेजी योग्यता के आधार पर पात्र माना गया है, बी.ए. एडिशनल अंग्रेजी योग्यताधारी अभ्यर्थियों माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में दायर सिविल याचिका संख्या 19113/17 धमेन्द्र कुमार भींचर व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21-08-2018 में ऐसे योग्यताधारी अभ्यर्थियों को लेवल द्वितीय के अंग्रेजी पद हेतु पात्र नहीं माना गया है। अतः उक्त भर्ती अन्तर्गत गैर अनुसूचित क्षेत्र में लेवल द्वितीय अंग्रेजी पद हेतु बी.ए. एडिशनल अंग्रेजी योग्यता के आधार पर पूर्व में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान नहीं की जावें।**

4. उक्त भर्ती के संबंध में विभाग द्वारा समय-समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये हैं, इन दिशा निर्देशो के अनुसार ही नवीन चयनित अभ्यर्थियों की पात्रता सुनिश्चित की जावें।

उक्त चयनित अभ्यर्थियों की नामवार सूचियां एवं उनसे संबंधित डाटा आपको ई-मेल के माध्यम से भिजवाई जा रही है। आप संबंधित प्रभारी को दिनांक 27-08-2018 को निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर में भिजवाना सुनिश्चित करावें, ताकि उक्त चयनित अभ्यर्थियों से संबंधित दस्तावेज व अन्य आवश्यक सूचनाएं वाहक को उपलब्ध करवाई जा सके। इसे कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

23/8/18

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. उपायुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, शिक्षा संकुल, जयपुर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त जिलें को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त भर्तियों के संबंध में नव चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन एवं कांउसलिंग के संबंध में तत्काल मुख्यकार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद से सम्पर्क कर राज्य सरकार द्वारा जारी कलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सम्पादित करवाना सुनिश्चित करें।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, विधि, जयपुर/जोधपुर।
7. कार्यालय प्रति।

23/8

निदेशक
प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर